



साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड

एवं

नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड



आम सूचना

टिप्पणी/आपत्ति/सुझाव हेतु अनुरोध


1. साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एस0बी0पी0डी0सी0एल0) एवं नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एन0बी0पी0डी0सी0एल0) द्वारा अपने सभी हितधारकों एवं सर्वधारण को सूचित किया जाता है कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा (46) (50) और (57), बिहार विद्युत विनियामक आयोग (व्यवसाय का संचालन (विनियमन, 2005 की धारा (36) और (39) और बिहार विद्युत आपूर्ति संहिता, 2007 के विनियमन 7.10 और इसके आगे के संशोधनों के तहत "स्मार्ट मीटरिंग पहल के अनुरूप चार्जबल आधार पर विद्युत कनेक्शन में सेवा केबलों की आपूर्ति, स्थापना, कमीशनिंग के लिए अनुमोदन" के लिए माननीय बिहार विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष याचिका दायर की गई है। याचिका को माननीय आयोग ने अपने आदेश दिनांक 09.09.2025 के तहत वाद संख्या 35/2025 के रूप में स्वीकार किया है।
2. विद्युत कनेक्शन में सर्विस केबलों की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग के लिए, जो केबलों के उन्नयन की आवश्यकता और क्षेत्राधिकारियों से प्राप्त अनुशंसा पर आधारित होगा। नीचे उल्लिखित शुल्क लागू होंगे, जिसमें पर्यवेक्षण श्रम की लागत और वर्तमान टैरिफ आदेश के अनुसार स्थापना से संबंधी व्यय शुल्क लिये गये है।

| क्रम संख्या | क्षमता (वस्तु विवरण जीआई तार संख्या 8 के साथ एएल सर्विस तार 25 मीटर की लागत सहित) | प्रति कनेक्शन दर | पर्यवेक्षण, श्रम और स्थापना शुल्क (21%) | प्रति कनेक्शन कुल वसूली योग्य राशि |
|-------------|---|------------------|---|------------------------------------|
| 1 | 2C*6 sq. mm | 810.38 | 170.18 | 980.56 |
| 2 | 2C*10 sq. mm | 1215.58 | 255.27 | 1470.85 |
| 3 | 4C*10 sq. mm | 2025.97 | 425.45 | 2451.42 |

3. यह भी प्रस्तावित है कि उपभोक्ताओं पर बोझ से बचने के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले उपभोक्ताओं के मासिक बिलों के शुल्क को दस (10) समान किस्तों में विभाजित किया जा सकता है।
4. उपर्युक्त कंडिका 1 में संदर्भित याचिका की प्रतियाँ मुख्य अभियंता (वाणिज्य), एसबीपीडीसीएल एवं अभियंता (वाणिज्य), एनबीपीडीसीएल, तृतीय तल एवं चतुर्थ तल, विद्युत भवन-III, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, पटना के कार्यालय में उपलब्ध हैं तथा याचिकाकर्ता की आधिकारिक वेबसाइट www.sbpdc.co.in & www.nbpdc.co.in पर भी अपलोड कर दी गई हैं।
5. इच्छुक व्यक्ति/संगठन अपनी टिप्पणी/सुझाव/आपत्तियां सचिव, बिहार विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत भवन-II, बेली रोड, पटना के समक्ष दिनांक 10.10.2025 के शाम 05:00 तक या उससे पहले दर्ज करा सकते हैं।

तारीख :


स्थान : पटना


26.09.25

मुख्य अभियंता (वाणिज्य),
एन0बी0पी0डी0सी0एल0

तारीख :

स्थान : पटना


26/09/25

मुख्य अभियंता (वाणिज्य),
एस0बी0पी0डी0सी0एल0